रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 342] नई दिल्ली, सोमवार, अक्टूबर 6, 1969/आश्विन 14, 1891
No. 342] NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 6, 1969/ASVINA 14, 1891

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF IRRIGATION & POWER

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th October 1969

S.O. 4054.—Whereas a request has been received under section 3 of the Inter-State Water Disputes Act, 1956 (33 of 1956), from the Government of Gujarat to refer the water dispute regarding the inter-State river, Narmada, and the river valley thereof, to a Tribunal for adjudication;

And whereas the Central Government is of opinion that the water dispute regarding the inter-State river, Narmada, and the river valley thereof, cannot be settled by negotiations;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 4 of the said Act, the Central Government hereby constitutes a Water Disputes Tribunal called 'the Narmada Water Disputes Tribunal', with headquarters at New Delhi consisting of the following members nominated in this behalf by the Chief Justice of India, for the adjudication of the water dispute regarding the inter-State river, Narmada, and the river valley thereof, in accordance with the provisions of the said Act, namely:—

(i) Shri Justice V. Ramaswami, Judge of the Supreme Court.—*Chairman*

(ii) Shri Justice V. P. Gopalan Nambiar, Judge of the Kerala High Court.—*Member.*

(iii) Shri Justice G. C. Mathur, Judge of the Allahabad High Court.—*Member.*

[No. 12/6/69-WD.]

By order and in the name of
the President of India.

K. P. MATHRANI, Secy

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 अक्टूबर, 1969

सं० का० 4055.—यतः गुजरात सरकार से अन्तर्राज्यिक जल विवाद अधिनियम, 1956 (1956 का 33) की धारा 3 के अधीन यह प्रार्थना प्राप्त हुई है कि अन्तर्राज्यिक नदी, नर्मदा, तथा उसकी नदी घाटी संबंधी जल विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए किसी अधिकरण को निर्दिष्ट कर दिया जाए;

और यतः केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि अन्तर्राज्यिक नदी नर्मदा, तथा उस की नदी घाटी संबंधी जल विवाद को बातचीत द्वारा तय नही किया जा सकता;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, अन्तर्राज्यिक नदी नर्मदा, तथा उसकी नदी घाटी संबंधी जल विवाद के न्यायनिर्णयन के लिये उक्त अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार, "नर्मदा जल विवाद अधिकरण" नामक एक जल विवाद अधिकरण एतद्द्वारा गठित करती है जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में होगा और जिस में भारत के मुख्य न्यायाधिपति द्वारा इस निमित्त नाम निर्देशित निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:—

(1) श्री जस्टिस बी० रामास्वामी, न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय — अध्यक्ष

(2) श्री जस्टिस वी० पी० गोपालन नंबियार, उच्च न्यायालय, केरल के न्यायधीश — सदस्य

(3) श्री जस्टिस जी० सी० माथुर, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के न्यायाधीश — सदस्य

[सं० 12/6/69 डब्ल्यु० डी०]

भारत के राष्ट्रपति के आदेश से और उनके नाम में,

के० पी० मथानी,
सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1969